कार्यकारी निदेशक और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

दूसरी मंजिल, जीवन विहार बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - ११० ००१ दिनांक: 18 दिसंबर, २०२०

श्री जयदीप शर्मा अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दूसरी मंजिल, जीवन विहार बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001......

प्रतिवादी

आदेश

यह अपील श्री जयदीप शर्मा के द्वारा भेजे गए सूचना के अधिकार (आर.टी.आई) के तहत आवेदनों में से है। श्री जयदीप शर्मा ने पत्र संख्या 236, 237 और 238 सभी दिनांक 6 अक्टूबर 2020 को जानकारी के लिये **जन सूचना अधिकारी, टॉपवर्थ स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड,** रसमदा दुर्ग, छत्तीसगढ़, भेजे थे।

- 2. अपीलकर्ता ने दावा किया है कि जन सूचना अधिकारी, टॉपवर्थ स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड ने उसे उत्तर नहीं दिए हैं और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत 30 दिनों के भीतर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि, अपीलकर्ता ने इस प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सामक्ष अपील दायर की है। अपीलकर्ता ने टेलिफोनिक या जिला कलेक्टर कार्यालय में एन.आई.सी के माध्यम से सुनवाई के लिए अनुरोध किया है।
- 3. इस संबंध में, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने प्रस्तुत किया है कि मामले में अपीलकर्ता से ऐसा कोई आर.टी.आई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

4. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के मद्देनजर कि आर.टी.आई आवेदनों के पत्र सं 236, 237 और 238 सभी अपीलकर्ता के दिनांक 6 अक्टूबर 2020 तक, कभी भी केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को नहीं भेजे गए, और दावा किया गया है कि जन सूचना अधिकारी, टॉपवर्थ स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड को भेजे गए थे, यह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की राय है कि इस तरह के किसी भी अपील का संज्ञान करने के लिए, उसके पास अधिकार नहीं है। इसलिए, अपीलकर्ता को सुनवाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. उपरोक्तानुसार, अपील का निपटान किया जाता है।

(हस्ताक्षर / -)

(के. आर. सजी कुमार)

कार्यकारी निदेशक और प्रथम अपीलीय अधिकारी

कॉपी:

- 1. अपीलार्थी, श्री जयदीप शर्मा।
- 2. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दूसरी मंजिल, जीवन विहार बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001